राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 110/2013

1. फूल सिंह पुत्र श्री पतराम उम्र 50 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी डाबड़ा तन् बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उदमीराम उर्फ उदय शर्मा पुत्र श्री गोकुलराम जाति खाती उम्र ........ साल निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......... वादीगण

**ब–ना–म**

1. राजेन्द्र पुत्र घीसाराम उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी टीबा
2. प्रताप पुत्र घीसाराम उम्र 30 साल जाति गुर्जर निवासी टीबा
3. श्याम सिंह पुत्र छाजूराम सिंह जाति राजपूत निवासी बसई
4. मन्जू पुत्री छाजूराम सिंह जाति राजपूत निवासी बसई
5. सरदार सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बसई
6. किशन सिह पुत्र श्री जलेसिंह जाति राजपूत निवासी बसई (फौत)

6/1 मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह
6/2 विजय सिंह पुत्र किशन सिंह
6/3 इन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
6/4 प्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह
6/5 सरोज पुत्री किशन सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6/6 मु. विष्णुकंवर पत्नी स्व. श्रीराम पुत्रवधू किशन सिंह
6/7 अर्जुन सिंह पुत्र रामसिंह पौत्र किशन सिंह
6/8 बबली कंवर पत्नी कंवर सिंह पुत्रवधू किशन सिंह
6/9 हंसा पुत्री कंवर सिंह उम्र 13 वर्ष } नाबालिग जरिये माता बबली कंवर
6/10 निकू पुत्री कंवर सिंह 10 वर्ष } जाति राजपूत निवासी बसई तह0 खेतड़ी
6/11 सुनिता पुत्री कंवर सिंह 8 वर्ष } जिला झुन्झुनूं, राज0

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी
8. सुनिता पत्नी लाल सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी डाबड़ा तन् बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

## दावा– खाता विभाजन

**निर्णय** दिनांक 26–02–2021

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–01–2019 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम बसई तहसील खेतडी स्थित भूमि खाता सं. 217 खसरा नंबर 109 रकबा 3.26 है. में 1/2 हिस्से का अर्थात् 1.63 है., ग्राम बसई स्थित भूमि खाता संख्या 213 खसरा नंबर 108 रकबा 2.89 है. में 1/4 हिस्से का अर्थात् 0.7224 है. तथा ग्राम बसई स्थित भूमि खाता संख्या 296 खसरा नंबर 105, 106 कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 है. में 7/12 हिस्से का अर्थात् 0.7116 है. भूमि का वादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादिया सं. 8 का ग्राम बसई स्थित भूमि खाता सं. 296 खसरा नंबर 105, 106 कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 है. भूमि में 1/6 हिस्से का तथा ग्राम बसई स्थित भूमि खाता सं. 213 खसरा नंबर 2.89 है. में 1/6 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./20/447 दिनांक 03.03.2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.4' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.4' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner